सूचना

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी को समय समय पर अपडेट करता रहता है| बैंक उन पुराने ग्राहकों क साथ संबंधओं को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया मे है जिनका हमारे बैंक मे बचत बैंक और / या चालू जमा खाता है लेकिन लंबे समय से अपने खातों का संचालन नही कर रहे हैं|

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु , बैंक ने शून्य शेष राशि वाले खातों की पहचान की है और जो 30.06.2019 से पहले निष्क्रिय हो गए हैं, बैंक उन ग्राहकों से संपर्क कर उनके साथ सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है (सूची संबन्धित शाखाओं मे प्रदर्शित की गयी है)|

ऐसे सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि हम उन ग्राहकों क साथ अपने सम्बन्धों को जारी रखने के इक्षुक हैं जो अपने शून्य शेष निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना चाहते हैं और हम ऐसे सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं कि इस सूचना से 30 दिनों के भीतर वे अपने केवाईसी को अपडेट कर फिर से संचालन करने के लिए संबन्धित/निकटतम शाखा से संपर्क करें|

ग्राहक, जो बैंक से संपर्क करने के इक्षुक नही हैं/संपर्क करने मे असफल होते हैं / अपने निष्क्रिय खातों को संचालित करने में असमर्थ हैं, वे ध्यान दें कि उनके खातों को बंद श्रेणी मे माना जाएगा और बैंक 30 दिनों कि सूचना अवधि कि समाप्ती के बाद ऐसे सभी खातों का एक अलग डाटा बना कर रख सकता है| हालांकि ऐसे ग्राहक केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करके नया खाता खोलने के लिए स्वतंत्र हैं|